

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)
(आदिवासी विकास शाखा)

phone fax no. 07864.284666,

email actwd.cgsukma@gmail.com

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक/275/आ.वि./छा.आ./स्थापना./2023-24

सुकमा, दिनांक.11.05.2023

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/एफ 13-1/2023/आ.प्र/1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है तथा कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती-24/2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 के तहत प्राप्त निर्देश के फलस्वरूप इस विभाग अन्तर्गत सहायक ग्रेड- 03 के 01 रिक्त पद पर सीधी भर्ती किया जाना है।

रिक्त पद पर भर्ती हेतु सुकमा जिले के ही पात्र व इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से दिनांक .11.05.2023 से दिनांक.26.05.2023 तक कार्यालयीन समय में आमंत्रित किये जाते है।

उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एवं विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट <https://sukma.gov.in> पर/कार्यालय कलेक्टर सुकमा के सूचना पटल पर भी उपलब्ध है।


सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास सुकमा

सुकमा, दिनांक.11.05.2023

पृ.क्रमांक/276/आ.वि./छा.आ./स्थापना./2023-24
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जिला सुकमा को सूचनार्थ। कृपया स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों जिनका पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. को सूचनार्थ। कृपया उक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।


सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास सुकमा

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)
(आदिवासी विकास शाखा)

phone fax no. 07864.284666,

email actwd.cgsukma@gmail.com

//विज्ञापन//

क्रमांक/277/आ.वि./छा.आ./स्थापना./2023-24

सुकमा, दिनांक.11.05.2023

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/एफ 13-1/2023/आ.प्र/1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है तथा कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती-24/2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 के तहत प्राप्त निर्देश के फलस्वरूप इस विभाग अन्तर्गत सहायक ग्रेड- 03 के 01 रिक्त पद के विरुद्ध सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु प्रतियोगी परीक्षा/चयन के लिए सुकमा जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से दिनांक 11.05.2023 से दिनांक 26.05.2023 तक कार्यालयीन समय में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पद की संख्या निम्नानुसार है:-

सहायक ग्रेड-03 (वेतनमान 5200-20200+1900 ग्रेड, वेतन लेवल-4)

क्रं.	विभाग का नाम	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)				योग
		मु.	म.	वि.	भू.पु.सै	
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सुकमा	1	0	0	0	1

नियम शर्त:-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- जिले में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर समीपस्थ अन्य जिले में परीक्षा केन्द्र आबंटित किये जा सकते हैं।
- आयु-सीमा:-** दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (35 वर्ष) में 05 वर्ष की छुट देय होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 05 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांगजन उम्मीदवार को 03 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।

उच्चतर आयु सीमा में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

- स्थानीय निवासी:-** सुकमा जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र में सुकमा जिले का ही स्थानीय निवासी मान्य किया जावेगा।
- आवश्यक दस्तावेज:-** आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/प्रमाण पत्र, हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति

प्रमाण पत्र (स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रतियां एवं स्व-प्रमाणित छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

6. परीक्षा योजना एवं अनुभव का अंक:- (1) तृतीय श्रेणी के पद हेतु लिखित परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे तथा अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक होगा। लिखित परीक्षा एवं अनुभव के अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार किया जावेगा। चयन हेतु कौशल परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन/तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत सहायक ग्रेड03 को नियुक्ति में अनुभव का अतिरिक्त अंक दिया जावेगा। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। 01 वर्ष की गणना नियुक्ति तिथि से न्यूनतम 09 माह की सेवा अवधि को 01 वर्ष मान्य किया जा सकेगा। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त संस्था से छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ-1-3/2012/1-3 नया रायपुर, दिनांक 06.11.2019 में उल्लेखित अनुसार) कम्प्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिये।
8. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना फलक पर एवं जिले के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
9. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तों को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आफलाईन आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिये बोर्ड अथवा नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।
10. अभ्यर्थी को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
11. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :- यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
12. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
13. परिवीक्षा अवधि:- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
(क) चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में छ.ग. शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार निम्नानुसार स्टापपेण्ड देय होगा।
प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

14. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं दिया जावेगा।
15. तृतीय श्रेणी पदों के लिए उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा ली जावेगी। शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. आवेदन में दिये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेंगे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटी सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
18. अनर्हता:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-
 - 1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।


 - 2) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
 - 3) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - 4) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
19. आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
20. प्रतिक्षा सूची:- प्रतिक्षा सूची समिति द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
21. अभ्यर्थी के चयन उपरान्त यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
22. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा।
23. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

31
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा

पृ.क्रमांक/278/आ.वि./छा.आ./स्थापना./2023-24
प्रतिलिपि:-

सुकमा, दिनांक.1.1.05.2023

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक छ.ग. शासन जनसम्पर्क विभाग नवा रायपुर अटल नगर को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग जिला बस्तर जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी अधिकारी, सुकमा की ओर सूचनार्थ। कृपया जिले के वेबसाईट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
7. संयुक्त संचालक जनसम्पर्क सुकमा की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा



आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साईज फोटो
चस्पा करें

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास सुकमा

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का पूरा नाम हिन्दी में:-
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में) :-
3. लिंग (संकेतांक) पुरुष-1, महिला-2, अन्य-3
4. पिता/पति का नाम :-
- 5.(अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में):-
.....
.....
.....
(ब) स्थायी पता :-
.....
.....
.....
6.(अ) जन्म तिथि (अंको में):-
(शब्दों में):-
(ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु :- वर्ष माह दिन
7. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है? हां/नहीं :-
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
8.(अ) क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित :-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें :-
9.(अ) क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं (यदि हां तो विकलांगता संबंधी :-
जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
(ब) विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :-
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक
11. रोजगार कार्यालय का नाम :-

12. क्या आप विवाहित है? हां/नहीं:-
13. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :-
14. जीवित बच्चों की संख्या :-
15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं :-
- (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
17. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
- | | |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि झूठे पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :-

स्थान:-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:-

पता

मोबाई नम्बर

ई-मेल